



जनपद हमीरपुर

प्रेसनोट- थाना मौदहा

दिनांक 11.04.2026

थाना मौदहा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 102/2026 धारा 305(C) भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.04.2026 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा वादी रोहित पुत्र रामकरन निवासी ग्राम उरदना थाना मौदहा से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 102/2026 धारा 305(C) भारतीय न्याय संहिता बनाम अज्ञात के विरुद्ध ई-रिक्शा से बैटरी चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही

थाना मौदहा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 102/2026 धारा 305(C) भारतीय न्याय संहिता की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 01.जावेद पुत्र गुलाम मुहम्मद निवासी नई वस्ती, आबू नगर, थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर 2.काली शंकर पुत्र हरीराम निवासी फिरोजपुर मजरा जाफराबाद, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर 3.आमिर उर्फ बबलू पुत्र नफीस मुहम्मद निवासी लाला बाजार, थाना कोतवाली नगर, जनपद फतेहपुर को थाना मौदहा क्षेत्रान्तर्गत कपसा मोड़ से 100 मीटर आगे बांदा जाने वाले मार्ग से 05 अदद बैटरियाँ व चारपहिया वाहन (बैगन आर) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोतरी करते हुये घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायलय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

- 1.जावेद पुत्र गुलाम मुहम्मद (उम्र करीब 27 वर्ष) निवासी नई वस्ती, आबू नगर, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।
- 2.काली शंकर पुत्र हरीराम (उम्र करीब 30 वर्ष) निवासी फिरोजपुर मजरा जाफराबाद थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर।
- 3.आमिर उर्फ बबलू पुत्र नफीस मुहम्मद (उम्र करीब 32 वर्ष) निवासी लाला बाजार, थाना कोतवाली नगर, जनपद फतेहपुर।

बरामदगी का विवरण

05 अदद ई-रिक्शा की बैटरियाँ, चारपहिया वाहन (बैगनआर) बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान

कपसा मोड़ से 100 मीटर आगे बांदा जाने वाले मार्ग से थाना मौदहा हमीरपुर।

पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 दिशांत खोखर
- 2.उ0नि0 अनिल कुमार सिंह
- 3.कां0 विनीत कुमार
- 4.का0 संदीप सिसोदिया

